प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.05.2025

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा 06 वर्ष के बच्चे का अपहृतकर्ता वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.4.2025 को इसरार नि0 ग्राम मसूरी जिला गाजियाबाद का 06 वर्षीय पुत्र दिनांक 29.4.25 को शाम करीब 6:00 बजे से गायब था परिजनों ने काफी तलाश करने के उपरांत थाना मसूरी को उक्त प्रकरण के संबंध में सूचना व एक लिखित तहरीर दी, तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहृत बच्चे की बरामदगी हेतु टीमों का गठन कर आसपास के रास्ते व गलियों के कैमरों की फुटेज चेक की गई।

जिससे स्पष्ट हुआ की वादी के पुत्र को एक आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति अपने साथ ठेली पर लेकर जा रहा है उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए फुटेज के आधार पर ठेली का पीछा कर ठेली मालिक को तलाश किया गया तो ठेली मालिक का नाम सलीम पुत्र मौ0 इलियास निवासी अजीज नगर चर्च के पास कस्बा मसूरी गाजियाबाद मिला जिससे ठेली किराये पर लेने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो उसका नाम अफजाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम दौतई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ज्ञात हुआ इसके अलावा आइसक्रीम कारखाने वाले सलीम के पास अफजाल का अन्य कोई आधार कार्ड व मोबाईल नम्बर उपलब्ध नही हो सका। फुटेज से प्राप्त फोटो की पहचान कराते हुये जानकारी हुयी कि अभियुक्त अफजाल का एक भाई सुऐव कस्बा मसूरी में रहता है जिसे तलाश कर पूँछताछ की गयी तो उसने बताया मेरा भाई अफजाल करीब एक महीने पहले ही मसूरी आकर आइसक्रीम आदि बेचने का कार्य करता है। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी नहीं दे पाया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अलग अलग जनपद हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार में अपहृत बच्चे की तलाश हेतु टीमों को रवाना कर फुटेज आदि चैक कराकर तलाश कराई जा रही थी। दिनांक 01.05.2025 को अपहृत बच्चा उम्र करीब 06 वर्ष पुराना बस अड्डा गाजियाबाद टैम्पू चालक के पास मिला। सूचना पर पहुँचकर अपहृत बच्चे को लाकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुराना बस अड्डा के पास जानकारी करने पर जानकारी हुयी कि एक व्यक्ति उसे यहां छोड़कर चला गया है। बच्चे से पूछताछ करने पर बच्चे ने बताया था कि वह ट्रेन में गया था तथा जहाँ पर वह था, वहाँ पर गंगा जी थी और रात्रि में नीचे चटाई पर सोया था।

उपरोक्त मुकदमें वांछित चल रहे अभियुक्त अफजाल उपरोक्त की तलाश हेतु लगातार टीमें सम्भावित स्थानों पर दविश दे रही थी तथा मुखविर मामूर किये हुये थे इसी क्रम में मुखविर की सूचना पर आज दिनांक 3.5.2025 को अभियुक्त अफजाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी गांव देवताई थाना गढ जिला हापुड को यूपी दिल्ली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

अफजाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासी गांव देवताई थाना गढ जिला हापुड उम्र करीब 35 वर्ष

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त अफजाल उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और हम पाँच भाई हैं मेरी शादी नहीं हुयी और सबकी शादी हो गयी है तथा सभी अपना अपना परिवार लेकर अलग अलग जगहों पर मजदूरी आदि का कार्य करते हैं। मैं पिछले करीब एक महीने से मसूरी में रहकर सलीम के आईसक्रीम के कारखाने से आईसक्रीम की ठेली किराये पर ले जाकर आईसक्रीम बेचने का कार्य कर रहा हूँ। दिनांक 29.4.2025 को मैं जफर कालोनी में आइसक्रीम बेचने गया था वहाँ पर काफी बच्चे आ गये थे वहाँ से मैं करीब 6 वर्ष के बच्चे को बिना किसी को बताए चुपचाप अपने साथ लेकर चला गया था और आईसक्रीम की ठेली को सलीम के कारखाने में शाम के समय खड़ा करके, वहीं से टैम्पो पकड़कर जनपद हापुड़ तथा जनपद हापुड़ से जनपद हरिद्वार चला गया था। वहां मै बच्चे को दो दिन घुमा फिराकर वापस दिनांक 1.05.2025 को गाजियाबाद छोड़कर चला गया था इससे पूर्व में भी मैने वर्ष 2006 में थाना भजनपुर दिल्ली क्षेत्र से भी एक बच्चा लेकर गया था तथा वर्ष 2013 में दिल्ली गोकुलपुरी क्षेत्र से एक बच्चा लेकर चला गया था वर्ष 2023 में जनपद हापुड़ कोतवाली देहात से भी एक बच्चा लेकर चला गया था। उक्त तीनों मामलों में मैं जेल गया था तथा गोकुलपुरी दिल्ली के मुकदमें में मुझे सजा हो गयी थी । उपरोक्त सभी मुकदमों में मेरी जमानत हो गयी थी तथा जनपद हापुड़ के मुकदमें में करीब 6 माह पूर्व मेरी जमानत हुयी थी। अभियुक्त एक साइको टाइप का व्यक्ति है जो बच्चों को ले जाकर घुमा फिराकर छोड़ देता है। अभियुक्त के ऊपर पूर्व में बच्चे ले जाने के सम्बन्ध में दिल्ली में 02 व जनपद हापुड़ में 01 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त अफजाल उपरोक्त पर बच्चे अपहरण करने के दिल्ली में 02 मुकदमें तथा जनपद हापुड़ मे एक अभियोग तथा थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 121/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 02 नाबालिग लड़को को सकुशल बरामद किया गया।

दिनांक 02/03.05.2025 की रात्रि को थाना मोदीनगर पर वादी श्री अनिल कुमार निवासी राजनगर नया कादराबाद थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद ने उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर वादी के नाबालिग पुत्र व वादी की ही कालोनी के रहने वाले एक अन्य नाबालिग लडके के गुमशुदा हो जाना के संबंध में थाना मोदीनगर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 03.05.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा वादी की पत्नी अंजू हाल निवासी गंगाविहार बाल्मिकी मौहल्ला मुरादनगर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद के पास से इनको सकुशल बरामद किया गया। अधिक जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मुकदमा वादी अनिल कुमार का अपनी पत्नी से वाद – विवाद चल रहा है, मुकदमा वादी का नाबालिग पुत्र उनके साथ नया कादराबाद मोदीनगर मे ही रहता है परन्तु दिनांक 02/03.05.25 को आवेदक का नाबालिग पुत्र अपने अन्य नाबालिग साथी को लेकर अपनी माँ अंजू के घर गंगा विहार बाल्मिकी मौहल्ला मुरादनगर चला गया था। जहाँ से थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा नाबालिग दोनों लडको को सकुशल बरामद किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली टीमः-
थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद में Car-O-bar के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर तथा गाड़ी में बैठ कर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

श्री जे. रविन्दर गौड, पुलिस आयुक्त गाजियाबाद एवं श्री आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून-व्यवस्था के निर्देशन में कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 02.05.2025 को 19:00 बजे से लेकर 22:00 बजे तक शराब ठेकों के आसपास, सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर तथा गाड़ी में बैठकर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 641 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा गाड़ी में बैठकर तथा

सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। तथा इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार व्यक्तियों के चालान की स्थिति निम्नवत है –

नगर जोन-177, ट्रांसहिंडन जोन-226, ग्रामीण जोन-238, कुल -641 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वाहनों के चालान की स्थिति निम्नवत है-

नगर जोन- 122, ट्रांसहिंडन जोन- 170, ग्रामीण जोन- 83, यातायात पुलिस- 25, कुल- 400 वाहनों के चालान की कार्यवाही अमल में लाई गयी।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का 01 ऑटो (थ्री व्हीलर) , 02 ऑटो के CNG गैस सिलेण्डर , 01 बैटरी व ऑटो के अन्य सामान बरामद।

दिनांक 03.05.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर चोर (1) मोनिश पुत्र कलवा निवासी भूस की टाल के पीछे दूधिया पीपल कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद (2) आमिर उर्फ पूसी पुत्र इकराम उर्फ आलू निवासी पुरानी पैंठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को भूडगढी रोड़ पर गंदे नाले के पास खाली पडे प्लाट से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से थाना वेव सिटी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 109/2025 धारा 303(2),317(2),3(5) BNS में चोरी गये 01 चोरी का आटो (थ्री व्हीलर) न0 UP14 MT 7501 व आँटो का खुला हुआ सामान 02 CNG गैस सिलेण्डर सफेद रंग व एक Exide बैटरी व 02 सीट स्टैण्ड व मुडी हुई आटो की चादर बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त गण द्वारा बताया गया कि साहब हम एक साथ रहते है और आस पास आटो या मोटरसाईकिल को चोरी करने की फिराक में थे और एक दिन मौका पाकर हम दोनो ने यह आटो डासना मे काठ की पुलिया से चोरी किया था और हम दोनो ने यह आटो छुपा दिया था हम दोनो इस आटो की कपडे और रेकसीन से बनी छत को गंदे नाले में फेक दिया था और आज हम दोनों इस सुनसान जगह खाली पडे प्लाट में इस आटो के सामान धीरे धीरे अलग अलग कर रहे थे और इस सामान को कबाडे में बेचने वाले थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. मोनिश पुत्र कलवा निवासी भूस की टाल के पीछे दूधिया पीपल कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

2. आमिर उर्फ पूसी पुत्र इकराम उर्फ आलू निवासी पुरानी पैंठ कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.04.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी गई कि मेरे माँ-बाप की मौत हो चुकी है जब मेरी उम्र 15 साल थी तो मेरी खाला की लड़की मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। जहाँ इनके 03 बडे भाई भी रहते थे जो मुझ पर बुरी नजर रखते थे। दिनांक 09.08.2020 की रात को सलीम ने मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए गलत काम किया। उसके 20 दिन के बाद आमिर ने भी मेरे साथ गलत काम किया और भाग गया। और उनका तीसरा छोटा भाई अरबाज भी मेरे साथ छेडछाड करता था। कुछ साल बाद इनके बहनोई शुभान ने भी मेरे साथ जबरदस्ती की। अब तक मेरे साथ रोज दो भाई गलत काम करते रहे। प्राप्त सूचना के आधार पर अंकुर विहार पर तत्काल धारा 70(2)/127(2)/61(2)/74/115(2) BNS व 5L/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 03.05.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में मुख्य वांछित अभियुक्तगण आमिर पुत्र साबिर निवासी बंगाली मस्जिद के पास बुध्दनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष व सलीम पुत्र साबिर निवासी बंगाली मस्जिद के पास बुध्दनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 25 वर्ष को नसबन्दी तिराहा थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम दोनो सगे भाई है और हमारे मां बाप की मृत्यु हो चुकी है। पीडिता हमारी खाला की लडकी है और उसके भी मां बाप की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण से वह बचपन से ही हमारे साथ में रहती थी। साथ में रहते समय ही हमने पीडिता के साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. आमिर पुत्र साबिर निवासी बंगाली मस्जिद के पास बुध्दनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 22 वर्ष
2.सलीम पुत्र साबिर निवासी बंगाली मस्जिद के पास बुध्दनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद उम्र करीब 25 वर्ष

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अरबाज पुत्र साबिर निवासी बंगाली मस्जिद के पास बुध्दनगर थाना अंकुर विहार गा0बाद
2. शुभान निवासी अज्ञात
3. समा निवासी अज्ञात
4. सोनी निवासी अज्ञात

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर क्राइम थाना तथा विभिन्न थानों पर स्थित साइबर सेल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए माह अप्रैल मे साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि 3.60 करोड़ रुपये वापस करवाये गये

नागरिक केन्द्रित (Citizen Centric) पुलिसिंग की दिशा में एवं साइबर अपराध पीड़ितों को राहत पहुँचाने हेतु विगत माह (01 अप्रैल-30 अप्रैल) में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर क्राइम थाना तथा विभिन्न थानों पर स्थित साइबर सेल द्वारा भारत सरकार के एनसीआरपी पोर्टल (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) एवं सम्बन्धित बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए साइबर फ्रॉड की धनराशि को तत्परता से फ्रीज कराते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि के 3.60 करोड़ रुपये वापस करवाये गये है।

अप्रैल माह में निम्न लिखित थानों द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी धनराशि रिफण्ड कराने में उल्लेखनीय योगदान दिया है –

थाना साइबर क्राइम द्वारा 2.98 करोड़ रुपये, थाना सिहानी गेट द्वारा 20.23 लाख रुपये, थाना इन्द्रापुरम द्वारा 8.32 लाख रुपये, थाना कौशाम्बी द्वारा 7.88 लाख रुपये, थाना लिंक रोड़ द्वारा 6.41 लाख रुपये, थाना टीलामोड़ द्वारा 5.46 लाख रुपये एवं थाना मसूरी द्वारा 5.52 लाख रुपये साइबर अपराध पीड़ितों को रिफण्ड कराये गये।

साइबर क्राइम की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता से अनुरोध है कि मुख्य रुप से होने वाले साइबर अपराध जैसे शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, टेलीग्राम टास्क फ्रॉड, सेक्सटॉर्सन फ्रॉड, फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट, पुलिस थ्रेट फ्रॉड, फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड की घटनाओं से बचने के लिए नीचे दिये गये सुझावों का पालन करें।

1. **शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड**

साइबर अपराधी इन्स्टाग्राम/फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित AI द्वारा बनाये गये प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फेक वीडियो विज्ञापन द्वारा प्रलोभित कर शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित टिप्स देने के लिये WhatsApp ग्रुप पर पीडित को जोड़कर एवं फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराते हैं। इन फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप पर शेयर ट्रेडिंग हेतु झांसा देकर, विभिन्न बैंक खातों में पैसा जमा कराते हैं। जब इन ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा पीडित निकालने का प्रयास करता

है तो विभिन्न टैक्स के नाम पर अतिरिक्त पैसे जमा कराने की कोशिश करते हैं। जब पीडित पैसा नहीं निकाल पाता तब उसे अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है।

ऐसे शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड से बचने के लिये शेयर ट्रेडिंग सदैव अधिकृत कम्पनी के माध्यम से ही करें। शेयर ट्रेडिंग हेतु अधिकृत कम्पनी के ही बैंक एकाउण्ट में पैसा जमा करें। प्रत्येक शेयर ट्रेड के बाद सम्बन्धित कम्पनी से शेयर एलॉटमेंट की ईमेल चेक करें। Institutional Account द्वारा कम्पनी से सीधे IPO दिलाने के झाँसे में न आयें।

2. टेलीग्राम टास्क फ्रॉड

साइबर अपराधी वर्क फ्रॉम होम के जरिये घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर Telegram या WhatsApp के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों के Google रिव्यू देने पर पैसे मिलने का लाभ दिखाते हैं। शुरुआत में Google रिव्यू टास्क कराकर कुछ पैसे पीडित को देते हैं, उसके बाद Prepaid Task के नाम पर पैसे जमा करवाते हैं। इस टास्क के माध्यम से कमाये गये पैसे जब पीडित निकालने का प्रयास करता है तो ये अपराधी और टास्क Complete करने को या पैसा निकालने के लिये विभिन्न टैक्स जमा कराने के नाम पर और अधिक पैसे जमा कराते हैं। पीडित ज्यादा पैसा पाने के लालच में टैक्स के नाम पर या टास्क कम्पलीट करने के नाम पर और पैसे जमा करते जाते हैं। पीडित जब पैसे नहीं निकाल पाता तब उसे अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है

ऐसे टेलीग्राम टास्क फ्रॉड से बचने के लिये वर्क फ्रॉम होम के नाम पर टेलीग्राम या व्हाटसएप मैसेज को रेस्पॉन्ड करने से बचें। गूगल रिव्यू के नाम पर प्रीपेड टास्क से बचें। किसी भी अधिकृत कम्पनी द्वारा विभिन्न नाम के बैंक एकाउण्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है।

3. सेक्सटॉर्सन फ्रॉड

सेक्सटॉर्सन फ्रॉड में साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक मैसेंजर/व्हाटसअप पर 20 से 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों की Profile फोटो देखकर उन्हें टारगेट बनाया जाता है। पीड़ित की समस्त सोशल मीडिया एकाउण्ट की जानकारी कर लेते है। पीडित के मोबाइल पर WhatsApp / फेसबुक मैसेंजर से Video Call लड़कियों से कराते हैं। Video Call पर लड़की अपने कपड़े निकाल देती है तथा इस Video Call की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। इसके बाद साइबर अपराधियों द्वारा पीडित को पुलिस अधिकारी/ YouTube अधिकारी बनकर YouTube पर वीडियो वायरल करने तथा पीडित के परिचितों की सोशल मीडिया से डिटेल लेकर उनको भेजने का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते हैं।

ऐसे सेक्सटॉर्सन फ्रॉड से बचने के लिये अन्जान लोगों की वीडियो कॉल न उठायें। अपनी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें, सोशल मीडिया प्रोफाइल की ''प्राइवेसी सेटिंग्स'' में यह चयन करने का विकल्प देती है कि कौन आपके पोस्ट व फोटो देख सकता है एवं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। इन्हीं सेटिंग्स में "My Friends Only" सेटिंग का चयन कर अनजान लोगों को अपने प्रोफाइल तक पहुँचने से रोकें अगर आपके साथ सेक्सटॉर्सन का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल पुलिस से शिकायत करें एवं अपराधियों को पैसे न दें।

4. फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट

साइबर अपराधियों द्वारा पीडित के पास FedEx Courier के नाम से फोन कॉल की जाती है कि आपके नाम से Courier बुक कराया गया है, जिसमें US Dollar, Drugs, Mobile Sim, Fake Passport आदि मिले हैं, जिसकी शिकायत नारकोटिक्स सेल को कर दी गयी है। FedEx Courier वाला नारकोटिक्स सेल वालों को कॉल ट्रांसफर करने का दिखावा करता है। नारकोटिक्स सेल वाला Skype app पर वीडियो कॉल से जुडने के लिये कहकर वीडियो कॉल पर पीडित को ले लेते हैं और उसे Fake पुलिस अधिकारी ID , Arrest Warrant शेयर करते हैं। साइबर अपराधी Skype Video Call पर पीडित को बैकग्राउण्ड में पुलिस थाने का सेटअप दिखाकर पीडित को डराकर उसके अकाउंट की डिटेल लेकर अपने खातों में पैसे ट्रॉस्फर करा लेते हैं। चूँकि इस अपराध के दौरान साइबर अपराधी पीडित को डराकर उसे किसी से सम्पर्क नही करने तथा घर से बाहर नहीं निकलने देते इसलिये इसे मीडिया द्वारा डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है।

ऐसे फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिये कोरियर सम्बन्धित किसी भी अनजान कॉल पर रेस्पॉन्ड न करें , स्काइप वीडियो कॉल से न जुड़ें , बैंक के एकाउण्ट डिटेल न दें। इस तरह की कॉल आने पर पुलिस से तत्काल शिकायत करें।

5. पुलिस थ्रेट फ्रॉड

साइबर अपराधी पुलिस वाला बनकर पीडित को कॉल कर कहते हैं कि आपका बेटा रेप केस में या बेटी ड्रग्स के केस में फंस गई है। Artificial Intelligence का प्रयोग कर सोशल मीडिया से उसकी आवाज की कॉपी कर उस बच्चे की रोते हुए एवं बचाने की आवाज सुनवाकर पीडित को पूरी तरह झांसे मे ले लेते हैं। पीडित से साइबर अपराधी कहता है कि अगर तुरन्त पैसे ट्रांसफर कर दो तो वो उसे छोड़ देंगे। पीडित भयवश पैसे ट्रांसफर कर देता है। पीडित को बाद में अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है।

ऐसे पुलिस थ्रेट फ्रॉड से बचने के लिये इस तरह की कॉल आने पर सबसे पहले अपने बच्चे से सम्पर्क करें इस तरह की कॉल आने पर पुलिस से तत्काल शिकायत करें

6. फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड

पीडित जब गूगल पर किसी कम्पनी/बैंक आदि के कस्टमर केयर का नम्बर सर्च कर कम्पनी/बैंक की अधिकृत बेवसाइट से नम्बर न लेकर अन्य जगह से नम्बर ले लेता है जोकि साइबर अपराधियों का नम्बर होता है। पीडित इन नम्बरों पर कॉल करता है तो साइबर अपराधी उसकी समस्या हल करने के लिए कम्पनी का कस्टमर केयर एप के नाम पर Remote Access App की APK फाइल/ऐप डाउनलोड कराकर मोबाइल का रिमोट कन्ट्रोल एक्सेस ले लेते हैं। पीडित के मोबाइल को हैक कर उसका कन्ट्रोल लेकर उसके मोबाइल बैंकिग का उपयोग कर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं।

ऐसे फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड से बचने के लिये कस्टमर केयर का नम्बर सदैव अधिकृत बेवसाइट से ही लें। किसी भी अनधिकृत लिंक के माध्यम से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। इस तरह कोई ऐप यदि मोबाइल में डाउनलोड हो जाये तो मोबाइल का इन्टरनेट तुरन्त बन्द कर दें तथा तत्काल पुलिस से शिकायत करें।

I4C द्वारा साइबर क्राइम के प्रति लोगों जागरूक करने के लिये Cyberdost के नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। Cyberdost से सोशलमीडिया प्लेटफार्म पर जुडने के लिये WhatsApp की Settings में जाकर Updates में Cyberdost को Search कर Channel को Follow करें। इसके अलावा निम्न दिये हुये सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी Cyberdost Channel को Follow कर सकते हैं।

साइबर क्राइम होने पर क्या करें

- वित्तीय साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल करें
- सभी प्रकार की साइबर अपराध की घटना पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने थाने की साइबर सेल से सम्पर्क करें।